

आरखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-न0वि0पि0 68/2017-145

नास दिनांक-03/11/2017

सेवा में,
श्री/श्रीमती-सर्वेश्वर कुमार, श्री संजय कुमार एवं श्री संदीप कुमार, पिता-श्री कालीपद कुम्हार के तरफ से आम मोडार
श्री आदित्य राज सेंगर, पिता-श्री कामेश्वर कुमारा सेंगर, श्री मनमरण पंडित, पिता-फकिर पंडित एवं श्री सुनीर रंजन
लाला, पिता-कनन बिहारी लाल।
पता-जे0सी0 मल्लीक रोड, पी0+धाना-धनबाद, जिला-धनबाद।

विषय-
आवासीय/व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थानगत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केस न0 110डी0
न0-01/17-18 संबंधी आपके आवेदन दिनांक-04.04.2017 के संबंध में।

महोदय,
आपके आवेदन, दलील संख्या-3244, दि0-27.07.16 दाखिल खरिज अभिलेख संख्या-2454 W/16-17 जमावंदी संख्या-4277 से निर्मित
लगातन रसीद वर्ष 16-17 की अभिप्रेमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशासक के आदेशों
में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थानगत भवन संकस पी0डी0 केस न0-01/17-18
के नक्शों की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि-सनी पोखर-20 मीजा अन्तर्गत खाता न0-123, प्लॉट न0-2812, 2905, 2906, रकबा-45
डिसमोल/एकड़ भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंस अभियन्ता श्री ए0के0 केशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 3 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी
अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण का नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे
तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

आरखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का विशेषण समय-समय पर करना सुनिश्चित
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये वाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

जमाऊ भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थानगत भवन निर्माण हेतु
स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं वसत का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन को व्यवहार उसी प्रयोजक के लिये किया जा
सकना। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नगरीय
विश्विदन कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से सतत उभावित होंगे।

स्ट्रक्चर डिजाइन, सोवायल टेस्ट एवं प्लानिंग रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण
कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक/आवेदिका सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्परवात् ही आगे की
निर्माण कार्य जारी रहेंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कामजातों में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई
अन्यथा आदेश पारित रहने/हान पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शों की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

आवेदक/आवेदिका द्वारा भ्रम उत्पन्न के मद में 1% कुल ₹0-3,67,510/- का 1/3 भाग का बैंक ड्राफ्ट जिसकी सांश
₹0-1,22,500/- एवं दो पोस्ट डेटेड चेक जमा किया गया है।

आवेदक/आवेदिका
नगर निवेशक/जनक
धनबाद, धनबाद।

आवेदक/आवेदिका